

प्रवेश सूचना

सत्र 2025-26 में राजकीय पालीटेक्निक महोबा में प्रथम वर्ष विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सी0एस0 एवं आई0टी0 तथा द्वितीय वर्ष लेटरल एन्ट्री में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र / छात्राओं को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र निम्न क्रम में संलग्न करने होंगे।

प्रवेश दिनांक 14.07.2025 से प्रारम्भ होगा।

छात्र/छात्रा अपनी फाइल में निम्नानुसार प्रपत्र संलग्न करेंगे।

1. प्रवेश फार्म मूल रूप में।
2. एडमिशन लेटर की प्रति
3. रैंक कार्ड की छायाप्रति
4. एडमिट कार्ड
5. **SBI Collection** के माध्यम से ऑनलाईन जमा की गयी फीस रसीद की प्रति।
6. हाईस्कूल अंक पत्र एवं सनद की सत्यापित छाया प्रति
7. इण्टरमीडिएट अंक पत्र एवं सनद की सत्यापित छाया प्रति
8. जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति यदि आरक्षित वर्ग में प्रवेश हुआ है
9. ई0डब्लू0एस0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति यदि आरक्षित वर्ग में प्रवेश हुआ है
10. निवास प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति
11. उपवर्ग प्रमाण-पत्र एम0पी0/एफ0एफ0/पी0एच0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति
12. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) की प्रथम प्रति मूल रूप में।
13. चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
14. गैप शपथ-पत्र मूल रूप में। यदि कोई गैप हो।
15. एन्टी रैगिंग शपथपत्र अभिभावक / छात्र द्वारा देय होगा।
16. मेडिकल प्रमाण-पत्र संस्था के निर्धारित प्रारूप पर।
17. 03 फोटो (जो परीक्षा आवेदनपत्र भरते समय चस्पा की गयी थी) जिसमें से एक प्रवेश फार्म पर चस्पा करेंगे तथा दो फोटो फाइल में नत्थी करेंगे।


प्रधानाचार्य
Principal
राजकीय पालीटेक्निक
Govt. Polytechnic
महोबा
Mahoba

पूछताछ हेतु सम्पर्क सूत्र-

1. श्री संदीप कुमार- 9011390085
2. श्री प्रतुल गर्ग- 7905426901

सूचना

सत्र 2025-26 में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रथम वर्ष इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल(प्रो0)/सी0एस0/आई0टी0 पाठ्यक्रम एवं द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री में प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक राउन्ड के सीट आवंटन, डाक्यूमेंट वैरीफिकेशन के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर निम्नानुसार शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

1. अनारक्षित वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क के रूप में 7370 रुपये संस्था के खाते में SBI COLLECT/संस्था के QR कोड के माध्यम से जमा कर आनलाइन जेनरेट प्राप्त रसीद 2-प्रतियों में प्रवेश फाइल में लगाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क जमा नहीं करना है, इस हेतु उन्हे बाद में सूचित किया जायेगा।
3. प्रथम वर्ष में प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति) को बीमा शुल्क के रूप में 96 ₹ तथा द्वितीय वर्ष लेटरल इन्ट्री में प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं को 64 ₹ संस्था के खाते में SBI COLLECT/संस्था के QR कोड के माध्यम से जमा कर आनलाइन जेनरेट प्राप्त रसीद 2-प्रतियों में प्रवेश के समय ही संस्था के लेखा अनुभाग में जमा करना है।

संलग्नक- संस्था का QR कोड

भवदीय

(सुभाष शुक्ला)
प्रधानाचार्य

कार्यालय-प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक,महोबा

पत्रांक- 409-12 /पी0लेखा/प्रवेश/2025-26

दिनांक:- 05 जुलाई 2025

1. प्रवेश समिति अध्यक्ष/सदस्यों को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार शुल्क प्राप्त रसीद की जांच कर प्रवेश संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
2. लेखा लिपिक संस्थागत।
3. छात्रलिपिक संस्थागत।
4. वेबसाइट/सूचनापटल संस्थागत पर चरपा हेतु।

(सुभाष शुक्ला)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक,
महोबा



Form of Medical Certificate

I certify that I have carefully examined Shri/Smt/Ku.
S/o / D/o Shri.....that his/her age is about
that he/she has required Physical standard as per rules. His/Her chest measurement is
unexpanded.....cm., expanded.....cm. His/
Her sight is up to the prescribed standard.

He/She does not wear glass/does wear glasses.

Details of glasses worn is

His/Her height (without shoes) is..... and weight.....kg.

He / She has no disease or mental / bodily deformity making him/her unfit or likely to make
him / her unfit in the future for any active outdoor service.

Mark of Identification-

Left thumb impression-

Signature

Designation

(Seal of Medical Officer)

Rules for Medical Examination

Physical / eye sight standard for admission.

1. To be passed as fit for admission to Polytechnic a candidate must be in good mental and physical health and free of any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties in Govt. services.
2. Chest expansion shall be as follows -
 - (a) Vision with out aid of glass in not less then 6/6 with each eye provided that with the aid of glasses. His vision is not less then 6/9 in one eye and 6/18 in the other.
 - (b) Each eye will be examined separately and be required to read the in ordinary day light.
 - (c) Inability to distinguish the principal colours will not be regarded as a cause for rejection, but the case will be noted in the certificate.
 - (d) The power of glasses if used, will confirm to medical standard laid down in the U.P. Civil Services.